



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2025/D-42

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 261577 दिनांक 13/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Kishan Bajaj S/o Vinod Kumar Bajaj	श्री रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री शिवदयाल शर्मा	230-A	103.29 SQ. YARD	Cooperative	RAM NAGAR VISTAR (APPOLO NAGAR GNSS) Sector/Block-E	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta)	मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार श्री रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री शिवदयाल शर्मा की मृत्यु दिनांक 16.06.1997 तथा श्रीमती सुशीला देवी शर्मा पत्नी श्री रमेशचन्द शर्मा की मृत्यु दिनांक 19.01.1996 को हो चुकी है। इनके विधिक वारीसान श्री देसहितकारी शर्मा पुत्र स्व. श्री रमेश चन्द शर्मा 2. श्रीमती वीणा दीक्षित पुत्री स्व. श्री रमेश चन्द शर्मा 3. श्रीमती मीना शर्मा पुत्री स्व. श्री रमेश चन्द शर्मा ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.10.2025 के द्वारा श्री किशन बजाज पुत्र श्री विनोद कुमार बजाज के पक्ष में बैचान किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Kishan Bajaj S/o Vinod Kumar Bajaj को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |